रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3957] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2018/आश्विन 12, 1940
No. 3957] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2018/ASVINA 12, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5136(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3711 (अ) तारीख 22 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 22 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमौली जिला में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश सरकार आदेश सं. 3912/14-3-35/80 तारीख 06 सितंबर 1982 द्वारा अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्र लगभग 624.62 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने का मुख्य उद्देश्य वनस्पति और जीवजंतु की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा और संभरण है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया ।

और, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवजंतु की कई संकटापन्न प्रजातियों का वास है। उद्यान में विभिन्न जीवजंतु सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप 18 स्तनधारियों की उपस्थित मिलती है। राष्ट्रीय उद्यान के कुछ महत्त्वपूर्ण स्तनधारी हिमालयन काला भालू *(सेलेंअरकटोस थीबेटनुस)*, हिमालयन ब्राउन भालू *(अरसूस अरकटोस)*, कस्तूरी हिरन *(मोसचुस चारयसोगास्टर)*, हिमालयन थार *(हेमित्रागुस जेमलाहीचुस)*, ब्लू भेड़ *(सेयदाइस नयाअर)*, सेराव *(कापरीकोरनीस सुमतराइन्सीस)* हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली लगभग 114 पक्षियों की प्रजातियों के साथ उद्यान में पक्षीजीव की विविधता समृद्ध हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में लगभग 600 पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें करीब 425 प्रजातियों डिकोट्स की है, 173 मोनोकाट्स की है और बाकी जेमेनोस्पर्म है।

और, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 16 महत्त्वपर्ण शिखर हैं। जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। उद्यान में भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत नंदा देवी पश्चिम 7818 मीटर भी स्थित है। नंदा देवी, उत्तराखंड राज्य की सर्वश्रेष्ठ देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित पवित्रतम पूजा-स्थल है और यह पूरे राज्य में महान सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की कुछ महत्त्वर्ण पर्वत श्रेणियाँ मृगथुनी, त्रिशूल, ऋषि, द्रोणागिरि, कालांका, चंगबंग आदि हैं।

और, 1934 में नंदादेवी शिखर की स्केलिंग तक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अनियंत्रित और प्राकृतिक रूप से उच्च पहाड़ों और ग्लेशियरों द्वारा संरक्षित था। इसके बाद, उद्यान के मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय पतन के गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर पर्वता रोहणों को वर्ष 1983 में भारत सरकार ने उद्यान के पारिस्थितिकी भंगुर परिदृश्य में तीव्रता से पर्यावरण पतन और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के हानिकारक प्रभाव से खतरनाक पर्वतारोहण और उद्यान में लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अतः, अब, इसमें पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, जीवजंतु , वनस्पति, भौगोलिक एवं प्राणी संघ या महत्त्व के कारण, सं रक्षा, प्रचार या उसमें वन्यजीव विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अनुसार और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान** के "**पारिस्थितिकी संवेदी जोन**" (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) उत्तराखंड राज्य के चमौली जिला में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन लगभग 782.55 वर्ग किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में आच्छादित है। 782.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 120.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन भूमि है, 33.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन पंचायत भूमि है और 628. 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवर्गीकृत भूमि है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 110 मीटर से 11.2 किलोमीटर तक परिवर्ती है।

(3) इस अधिसूचना के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिंदुओ की सीमा **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न का विवरण **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ठ किए गए अनुसार और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों और सहायक मानचित्रों के साथ भी अभ्यंकन करेगी। यह योजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग की विशेषताओं के दिये विवरण मानचित्र द्वारा समर्थित होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों के जीविकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकल्प को सुनिश्चित ओर अभिवृद्धि करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** –पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासिय प्रक्षेत्र या मुख्य औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अंतर्गत दिया गया है:

IndiaCode

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत और संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरूज्जीवन के लिए आंचलिक महायोजना में सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/ पारिस्थितिकी पर्यटन** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार आंचलिक महायोजना पर्यटन महायोजना के अनुसार के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये होटल और रिसोर्ट का निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल / रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी,आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए, यदि इसे आवश्यक समझे, अन्य अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अधीन बनाये गये नियम और अन्य लागू विधियां जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन संक्रियाएं, रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय, उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय के सुझावों के अनुसार होगा ।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये ठोस अपशिष्ट की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा प्रतिषिद्ध है ।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और विश्राम स्थलों को अनुज्ञात किया नहीं जाएगा : परंतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन आगे या उसके विस्तार तक, जो भी निकट हो के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना;

		(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	फर्मों, कॉरपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर,	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल बहि:स्रावों का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे अन्यथा अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंगें ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी मानीटरी पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:--

(क)	निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,	अध्यक्ष;
(ख)	जिला मजिस्ट्रेट, चमोली - वाइस चेयरमैन	सदस्य;
(ग)	उप जिला मजिस्ट्रेट, जोशीमठ	सदस्य;
(घ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से उत्तराखंड़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(च)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैवविविधता का विशेषज्ञ	सदस्य;
(छ)	उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालय से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिकी क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य-सचिव।
(ज)	वन्यजीव वार्डन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य;
(झ)	रेंज अधिकारी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जोशीमठ	सदस्य;
(ञ)	वन के उपसंरक्षक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जोशीमठ	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

IndiaCode

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

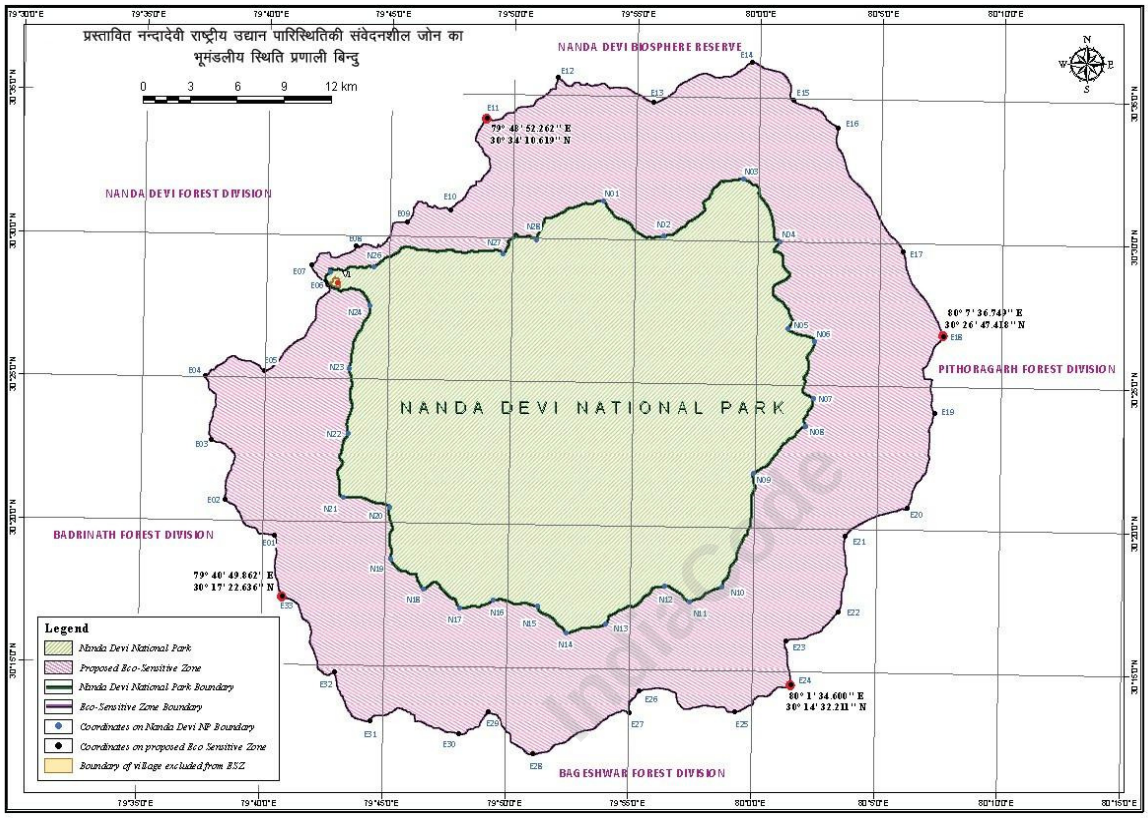
[फा. सं. 25/05/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध –I

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमंडलीय स्थित प्रणाली बिंदुओं की सीमा और मानचित्र



सीमा विवरण:

1. **उत्तरी सीमा**:- बगनी ग्लेशियर बिंदु (इ 13) के निकट से आरंभ होकर गनखवी गधेरा (इ 11) की ओर जाती है इसके बाद त्रिशूली शिखर 7074 मीटर (इ 15) की ओर जाती है इसके बाद पिथौरागढ़ वन प्रभाग में मीलम ग्लेशियर (इ 17) के साथ पिथौरागढ़ वन प्रभाग (इ 16) की ओर पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गौरी गंगा (इ 18) तक जाती है।

2. **पूर्वी सीमा** :- पिथौरागढ़ वन प्रभाग में गौरी गंगा (इ 18) में आरंभ होकर और पचगढ़ (इ 19) को पार करके श्यामा खारक (इ 20) की ओर जाती है इसके बाद ल्वा ग्लेशियर (इ 21) के साथ, इसके बाद नंदाकोट (इ 22) के निकट पिथौरागढ़ वन प्रभाग एवं बागेश्वर वन प्रभाग(इ 24) सल छनगूज ग्लेशियर दक्षिण की ओर मुडती है।

3. **दक्षिण सीमा** :- बागेश्वर वन प्रभाग (इ 24) साई छनगूज ग्लेशियर से आरंभ होकर, इसके बाद मंगतोली नाला (इ 26) की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त बागेश्वर वन प्रभाग 3241 मीटर (इ 27) में सुन्दरढूनंग शिखर की ओर जाती है इसके बाद गलेशियर पहाड़ी शिखर 5645 मीटर की ओर जाती है इसके अतिरिक्त बागेश्वर वन प्रभाग एवं बद्रीनाथ वन प्रभाग की सीमा में फैलकर थरकोट 6099 मीटर (इ 29) की ओर जाती है। इसके बाद पहाड़ी शिखर 5275 मीटर(इ 30) की ओर जाती है। इसके बाद बखुवा बेस (इ 32) के निकट नंदाकिनी नदी (इ 33) को पार करके जाती है।

4. **पश्चिमी सीमा**:- बद्रीनाथ वन प्रभाग, नंदाकिनी नदी (इ 33), से आरंभ होकर और सप्तकुंड (इ 1) तक उत्तर की ओर मुड़ती है इसके बाद खरोलाधर 3963मीटर (इ 2) इसके बाद धरालीगढ़ 2846 मीटर (इ 3). की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त (इ 4) इसके बाद बुगयलकोटी 5188 मीटर (इ 5) की ओर जाती है इसके बाद

उत्तर की ओर जाकर यह (इ 6) इसके बाद ऋषि गंगा (इ 7) के बाएं निकट के साथ पहुंचती है। रेनी ग्राम से पहले यह लता-खताखरक ट्रेक रूट (इ 8) की ओर ऋषि गंगा को पार करती है इसके बाद यह कोटीधर (इ 9) की ओर मुड़कर इसके बाद टोलमा गधेरा (इ 10) यह गन्खवी (इ 11) पहुंचती है।

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
एन1	79° 53' 40.034" पू	30° 31' 21.566" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 2	79° 56' 7.567" पू	30° 30' 8.427" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 3	79° 59' 21.054" पू	30° 32' 11.817" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 4	80° 0' 53.818" पू	30° 30' 0.808" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 5	80° 1' 16.420" पू	30° 26' 58.390" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 6	80° 2' 22.166" पू	30° 26' 32.881" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 7	80° 2' 19.941" पू	30° 24' 33.657" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 8	80° 2' 1.859" पू	30° 23' 35.894" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 9	79° 59' 54.881" पू	30° 21' 55.469" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 10	79° 58' 43.883" पू	30° 17' 56.681" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 11	79° 57' 22.935" पू	30° 17' 24.169" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 12	79° 56' 24.475" पू	30° 17' 57.325" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 13	79° 53' 59.147" पू	30° 16' 34.379" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 14	79° 52' 24.670" पू	30° 16' 15.468" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 15	79° 51' 13.115" पू	30° 17' 9.824" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 16	79° 49' 23.842" पू	30° 17' 21.794" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 17	79° 48' 4.196" पू	30° 17' 4.373" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 18	79° 46' 33.142" पू	30° 17' 41.943" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 19	79° 45' 12.037" पू	30° 18' 44.368" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 20	79° 45' 8.514" पू	30° 20' 32.640" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 21	79° 43' 14.049" पू	30° 20' 52.748" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 22	79° 43' 23.778" पू	30° 23' 6.058" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 23	79° 43' 23.406" पू	30° 25' 20.862" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 24	79° 44' 12.910" पू	30° 27' 33.069" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 25	79° 42' 34.148" पू	30° 28' 44.059" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 26	79° 44' 21.786" पू	30° 28' 55.611" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 27	79° 49' 36.488" पू	30° 29' 27.989" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
एन 28	79° 50' 58.637" पू	30° 29' 58.345" उ	नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
ई1	79° 40' 28.996" पू	30° 19' 29.592" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 2	79° 38' 24.967" पू	30° 20' 43.730" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 3	79° 37' 48.966" पू	30° 22' 48.725" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

IndiaCode

ई 4	79° 37' 31.768" पू	30° 25' 1.680" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 5	79° 39' 57.997" पू	30° 25' 15.275" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 6	79° 42' 22.212" पू	30° 28' 21.715" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 7	79° 41' 47.495" पू	30° 28' 57.644" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 8	79° 43' 35.637" पू	30° 29' 38.161" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 9	79° 45' 41.867" पू	30° 30' 30.040" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 10	79° 47' 26.547" पू	30° 30' 58.088" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 11	79° 48' 52.262" पू	30° 34' 10.619" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 12	79° 51' 44.086" पू	30° 35' 37.486" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 13	79° 55' 39.664" पू	30° 34' 48.759" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 14	79° 59' 38.819" पू	30° 36' 15.396" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 15	80° 1' 22.346" पू	30° 34' 57.076" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 16	80° 3' 12.741" पू	30° 34' 1.239" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 17	80° 5' 55.920" पू	30° 29' 42.624" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 18	80° 7' 36.749" पू	30° 26' 47.418" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 19	80° 7' 16.640" पू	30° 24' 5.637" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 20	80° 6' 13.525" पू	30° 20' 46.545" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 21	80° 3' 43.228" पू	30° 19' 46.267" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 22	80° 3' 26.990" पू	30° 17' 7.374" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 23	80° 1' 21.389" पू	30° 16' 5.129" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 24	80° 1' 34.600" पू	30° 14' 32.211" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 25	79° 59' 19.080" पू	30° 13' 34.909" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 26	79° 55' 25.069" पू	30° 14' 16.825" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 27	79° 55' 0.498" पू	30° 13' 28.732" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 28	79° 51' 7.633" पू	30° 12' 0.333" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 29	79° 49' 17.667" पू	30° 13' 28.150" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 30	79° 48' 6.597" पू	30° 12' 41.270" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 31	79° 44' 28.887" पू	30° 13' 4.198" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 32	79° 42' 59.319" पू	30° 14' 44.832" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 33	79° 40' 49.862" पू	30° 17' 22.636" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश
ई11	79° 48' 52.262" पू	30° 34' 10.6019" उ
ई 18	80° 7' 36.749" पू	30° 26' 47.418" उ
ई 24	80° 1' 34.600" पू	30° 14' 32.211" उ

ई 33	79° 40' 49.862" पू	30° 17' 22.636" उ

उपाबंध –II

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग पैटर्न

ग्राम का नाम	डिवीजन	सिविल / सोयम (वर्ग किलोमीटर)	आरक्षित वन (वर्ग किलोमीटर)	वन पंचायत (वर्ग किलोमीटर)	गैर-वर्गीकृत (वर्ग किलोमीटर)	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
शून्य	बद्रीनाथ वन डिवीजन	शून्य	83.00	शून्य	98.59	181.59
शून्य	बागेश्वर वन डिवीजन	शून्य	शून्य	शून्य	160.88	160.88
शून्य	नंदा देवी बीओसफेरे आरक्षित	शून्य	शून्य	शून्य	142.52	142.52
शून्य	नंदा देवी वन डिवीजन	शून्य	37.19	33.83	0.02	71.04
शून्य	पिथौरागढ़ वन डिवीजन	शून्य	शून्य	शून्य	226.53	226.53
	कुल योग		**120.19**	**33.83**	**628.54**	**782.55**

उपाबंध-III

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किये जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5136(E).—WHEREAS.- a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.3711(E), dated the 22nd November, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 22nd November, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the persons and stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, Nanda Devi National Park is situated in DistrictChamoli of Uttarkhand State. Nanda Devi National Park came into being vide Uttar Pradesh Govt. Order No. 3912/14-3-35/80 dated 06 September 1982. It has an area of about 624.62 km^2. The main objective of forming Nanda Devi National Park is to protect and conserve various species of flora and fauna. Nanda Devi National Park has been declared as World Heritage Site in the year 1988.

AND WHEREAS, Nanda Devi National Park is home to many endangered species of flora and fauna. The various faunal surveys in the park resulted in the finding of presence of 18 mammals. Some important mammals National Park are Snow Leopard (*Pantherauncia*), Himalayan Black Bear (*Selenarctosthibetanus)*, Himalayan Brown Bear (*Ursusarctos*), Musk Deer (Moschus*chrysogaster*), Himalayan Tahr (*Hemitragusjemlahicus*), Blue Sheep (*Pseudoisnyaur*), Serow (*Capricornissumatraensis*). The Park is also rich in the diversity of avifauna with nearly 114 species of birds found in the National park. Nearly 600 species of plants are known from the core zone of Nanda Devi National Park of these nearly 425 species are dicots, 173 monocots and rest are gymnosperms.

AND WHEREAS Nanda Devi National Park comprises of 16 magnificent peaks whose height is more than 6000 m. Nanda Devi West 7818 mtr. India,s second highest mountain is also situated in the Park. Goddess Nanda Devi, the reigning deity of Uttarakhand lies in Nanda Devi National Park sanctum sanctorum and is held in great reverence throughout the state. Some important mountain ranges of National Park are Mrigthuni, Trishul, Rishi, Dronagiri, Kalanka, Changbang etc.

AND WHEREAS, The Nanda Devi National was unexplored and naturally protected by high mountains and glaciers until scaling of Nanda Devi peak in 1934 . After this, the park faced serious threats of environmental degradation due to human activities, particularly mountaineering. Alarmed by the rapid environmental degradation and detrimental impact of deposition of non-biodegradable waste in ecologically fragile landscape of Park, Government of India in 1983 imposed a complete ban on mountaineering and people's entry into park.

NOW THEREFORE, by reason of ecological, environmental, faunal, floral, geographical or zoological association or importance, for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife therein or its environment, the Central Government, in exercise of the powers conferred under by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) and as per sub-rule (3) rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, hereby notifies the area, the situation and limits of which are specified in the schedule to this notification as the **"Eco Sensitive Zone"** of the **Nanda Devi National Park** (hereinafter referred to as the Eco Sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of the Eco-Sensitive Zone

(1) The Eco-sensitive Zone around Nanda Devi National Park covers a peripheral area of about 782.55 square kilometers in the Chamoli District of Uttarakhand State. Out of the 782.55 square kilometre. area, an area of 120.19 square kilometers. is forest land, 33.83 square kilo meters is van panchayat land and 628.54 square kilo meters is unclassified land.

(2) The Eco-sensitive zone varying from 110 meters to 11.2 kilometers.

(3) The map and boundary Global Positioning System points of Nanda Devi National Park and Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone is appended with this notification as **Annexure. I.**

(4) The detail of land use pattern of Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal
(x) Panchayati Raj ; and
(xi) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse: (a)** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change italic Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management

Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Establishment of major hydroelectric projects in ESZ area of Nada Devi National Park would be as per recommendation of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other	Regulated as per applicable law. Underground cabling may be promoted.

	infrastructures .	
16	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated as per applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per r applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted

IndiaCode

35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

5. Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) The Director-Nanda Devi Biosphere Reserve – Chairman;

(b) The District Magistrate, Chamoli – Vice Chairman – Member;

(c) The Sub District Magistrate, Joshimath – Member;

(d) A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Uttarakhand State – Member;

(e) Regional Officer, Uttarakhand State Pollution Control Board – Member;

(f) Expert in Biodiversity nominated by the state Govt. - Member

(g) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Uttarakhand – Member;

(h) The Wildlife Warden, Nanda Devi National Park – Member;

(i) Range Officer, Nanda Devi National Park, Joshimath – Member;

(j) The Deputy Conservator of Forests, Nada Devi National Park, Joshimath –Member Secretary.

6. Terms of Reference

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for a period of three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro- forma given at **Annexure III**.

IndiaCode

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

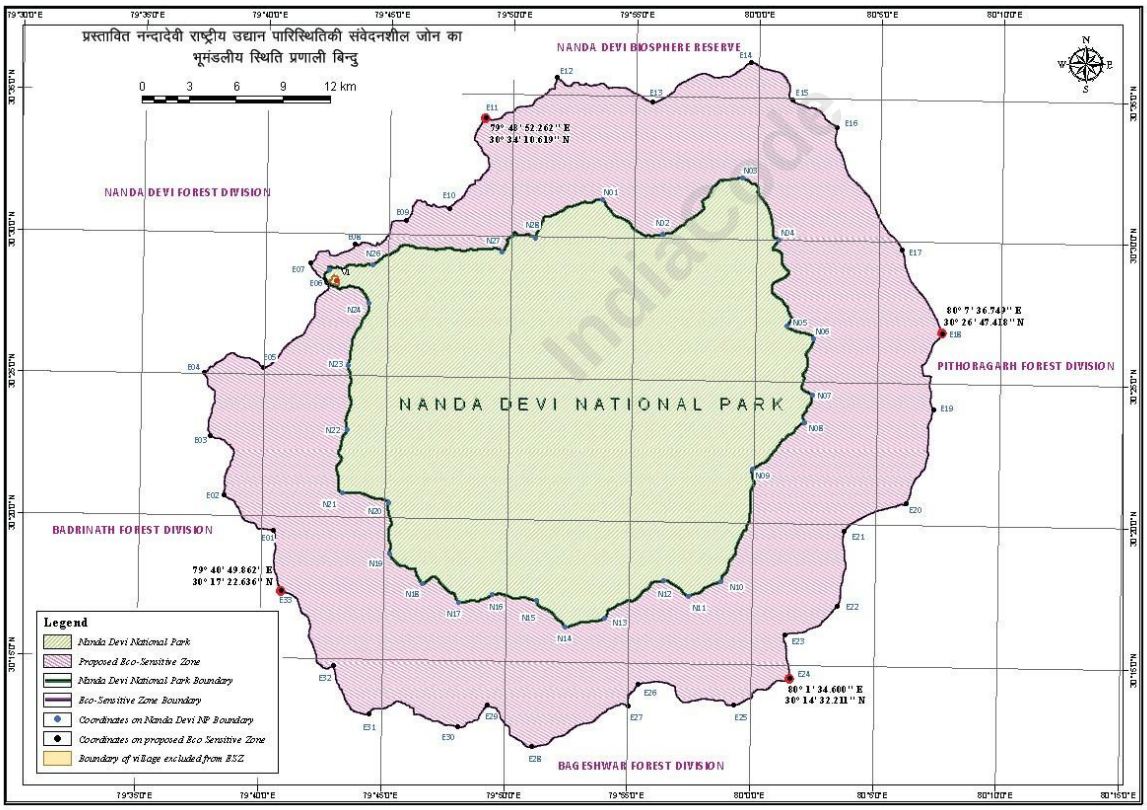
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/05/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Map and boundary Global Positioning System points of Nanda Devi National Park and Nanda Devi National Park Eco-sensitive zone



Boundary description:

2. **Northern Boundary**:- Starting from GankhawiGadhera (E 11) towards near Bagni Glacier point (E 13) then towards Trishuli peak 7074 m. (E 15) then towards Pitoragarh Forest Division (E 16) along the Milam Glacier (E 17) in Pithoragarh Forest Division till Gauri Ganga (E 18) in Pitoragarh Forest Division.

3. **Eastern boundary**:- Starting from Gauri Ganga (E 18) in Pithoragarh Forest Division, and crosses Pachu Gad (E 19) towards ShyamaKharak (E 20) then along Lwa Glacier (E 21), then towards the boundary of Pithoragarh Forest Division &Bageshwar Forest Division near Nandakot (E 22). Then moves Southwards towards Sal Chhanguj Glacier, BageshwarForest Division (E 24).

4. **Southern Boundary**:- Starting from Sai Chhanguj Glacier, Bageshwar Forest Division (E 24) then towards MangtoliNala (E 26) and further towards Sundardhunga peak in Bageshwar Forest division 3241m. (E 27) then towards glacier mountain peak 5645 m further towards Tharkot 6099 m (E 29) lying in the boundary of Bageshwar Forest Division &Badrinath Forest Division then towards mountain peak 5275 m (E 30). Then towards near Bakhuva Base (E 32) till it Crosses Nandakini River(E 33).

5. **Western Boundary**:- Starting from Nandakini River (E 33),Badrinath Forest Division and moving northwards till Saptkund (E 1) then towards Kharoladhar 3963m (E 2) then Dharaligad 2846m (E 3). Further towards Kanmuhali

(E 4) then Bugyalkoti 5188m (E 5) then northward till it reaches (E 6) then along left bank of Rishiganga (E 7). Before Reni village it crosses Rishiganga towards Lata-Latakharak trek route (E 8) then it moves towards Kotidhar (E 9) then to TolmaGadhera (E 10) till it reaches Gankhavi (E 11).

Points	Longitude	Latitude	Description
N1	79° 53' 40.034" E	30° 31' 21.566" N	Nanda Devi National Park
N2	79° 56' 7.567" E	30° 30' 8.427" N	Nanda Devi National Park
N3	79° 59' 21.054" E	30° 32' 11.817" N	Nanda Devi National Park
N4	80° 0' 53.818" E	30° 30' 0.808" N	Nanda Devi National Park
N5	80° 1' 16.420" E	30° 26' 58.390" N	Nanda Devi National Park
N6	80° 2' 22.166" E	30° 26' 32.881" N	Nanda Devi National Park
N7	80° 2' 19.941" E	30° 24' 33.657" N	Nanda Devi National Park
N8	80° 2' 1.859" E	30° 23' 35.894" N	Nanda Devi National Park
N9	79° 59' 54.881" E	30° 21' 55.469" N	Nanda Devi National Park
N10	79° 58' 43.883" E	30° 17' 56.681" N	Nanda Devi National Park
N11	79° 57' 22.935" E	30° 17' 24.169" N	Nanda Devi National Park
N12	79° 56' 24.475" E	30° 17' 57.325" N	Nanda Devi National Park
N13	79° 53' 59.147" E	30° 16' 34.379" N	Nanda Devi National Park
N14	79° 52' 24.670" E	30° 16' 15.468" N	Nanda Devi National Park
N15	79° 51' 13.115" E	30° 17' 9.824" N	Nanda Devi National Park
N16	79° 49' 23.842" E	30° 17' 21.794" N	Nanda Devi National Park
N17	79° 48' 4.196" E	30° 17' 4.373" N	Nanda Devi National Park
N18	79° 46' 33.142" E	30° 17' 41.943" N	Nanda Devi National Park
N19	79° 45' 12.037" E	30° 18' 44.368" N	Nanda Devi National Park
N20	79° 45' 8.514" E	30° 20' 32.640" N	Nanda Devi National Park
N21	79° 43' 14.049" E	30° 20' 52.748" N	Nanda Devi National Park
N22	79° 43' 23.778" E	30° 23' 6.058" N	Nanda Devi National Park
N23	79° 43' 23.406" E	30° 25' 20.862" N	Nanda Devi National Park
N24	79° 44' 12.910" E	30° 27' 33.069" N	Nanda Devi National Park
N25	79° 42' 34.148" E	30° 28' 44.059" N	Nanda Devi National Park
N26	79° 44' 21.786" E	30° 28' 55.611" N	Nanda Devi National Park
N27	79° 49' 36.488" E	30° 29' 27.989" N	Nanda Devi National Park
N28	79° 50' 58.637" E	30° 29' 58.345" N	Nanda Devi National Park
E1	79° 40' 28.996" E	30° 19' 29.592" N	Eco-Sensitive Zone
E2	79° 38' 24.967" E	30° 20' 43.730" N	Eco-Sensitive Zone
E3	79° 37' 48.966" E	30° 22' 48.725" N	Eco-Sensitive Zone
E4	79° 37' 31.768" E	30° 25' 1.680" N	Eco-Sensitive Zone
E5	79° 39' 57.997" E	30° 25' 15.275" N	Eco-Sensitive Zone
E6	79° 42' 22.212" E	30° 28' 21.715" N	Eco-Sensitive Zone
E7	79° 41' 47.495" E	30° 28' 57.644" N	Eco-Sensitive Zone
E8	79° 43' 35.637" E	30° 29' 38.161" N	Eco-Sensitive Zone
E9	79° 45' 41.867" E	30° 30' 30.040" N	Eco-Sensitive Zone
E10	79° 47' 26.547" E	30° 30' 58.088" N	Eco Sensitive Zone
E11	79° 48' 52.262" E	30° 34' 10.619" N	Eco-Sensitive Zone
E12	79° 51' 44.086" E	30° 35' 37.486" N	Eco Sensitive Zone
E13	79° 55' 39.664" E	30° 34' 48.759" N	Eco-Sensitive Zone
E14	79° 59' 38.819" E	30° 36' 15.396" N	Eco-Sensitive Zone
E15	80° 1' 22.346" E	30° 34' 57.076" N	Eco-Sensitive Zone
E16	80° 3' 12.741" E	30° 34' 1.239" N	Eco-Sensitive Zone
E17	80° 5' 55.920" E	30° 29' 42.624" N	Eco-Sensitive Zone
E18	80° 7' 36.749" E	30° 26' 47.418" N	Eco-Sensitive Zone
E19	80° 7' 16.640" E	30° 24' 5.637" N	Eco-Sensitive Zone
E20	80° 6' 13.525" E	30° 20' 46.545" N	Eco Sensitive Zone
E21	80° 3' 43.228" E	30° 19' 46.267" N	Eco-Sensitive Zone
E22	80° 3' 26.990" E	30° 17' 7.374" N	Eco-Sensitive Zone
E23	80° 1' 21.389" E	30° 16' 5.129" N	Eco-Sensitive Zone
E24	80° 1' 34.600" E	30° 14' 32.211" N	Eco-Sensitive Zone

E25	79° 59' 19.080" E	30° 13' 34.909" N	Eco-Sensitive Zone
E26	79° 55' 25.069" E	30° 14' 16.825" N	Eco-Sensitive Zone
E27	79° 55' 0.498" E	30° 13' 28.732" N	Eco-Sensitive Zone
E28	79° 51' 7.633" E	30° 12' 0.333" N	Eco-Sensitive Zone
E29	79° 49' 17.667" E	30° 13' 28.150" N	Eco-Sensitive Zone
E30	79° 48' 6.597" E	30° 12' 41.270" N	Eco-Sensitive Zone
E31	79° 44' 28.887" E	30° 13' 4.198" N	Eco-Sensitive Zone
E32	79° 42' 59.319" E	30° 14' 44.832" N	Eco-Sensitive Zone
E33	79° 40' 49.862" E	30° 17' 22.636" N	Eco-Sensitive Zone

North, South, East, West coordinates

Points	Longitude	Latitude
E11	79° 48' 52.262" E	30° 34' 10.6019" N
E18	80° 7' 36.749" E	30° 26' 47.418" N
E24	80° 1' 34.600" E	30° 14' 32.211" N
E33	79° 40' 49.862" E	30° 17' 22.636" N

ANNEXURE–II

Land use pattern of Nanda Devi National Park Eco-sensitive Zone

Name of village	Division	Civil/ Soyam (Sq Km)	Reserve Forest (Sq Km)	Van Panchayat (Sq Km)	Unclassified (Sq Km)	Area (Sq Km)
1	2	3	4	5	6	7
Nil	Badrinath Forest Division	Nil	83.00	Nil	98.59	181.59
Nil	Bageshwar Forest Division	Nil	Nil	Nil	160.88	160.88
Nil	Nanda Devi Biosphere Reserve	Nil	Nil	Nil	142.52	142.52
Nil	Nanda Devi Forest Division	Nil	37.19	33.83	0.02	71.04
Nil	Pithoragarh Forest Division	Nil	Nil	Nil	226.53	226.53
	Grand Total		**120.19**	**33.83**	**628.54**	**782.55**

Annexure-III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.10.11 14:35:31 +05'30'